संख्या-25/2025/I-881632/2025/एस-14/38-2-2025
001-38-2001-099-2-2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2025

विषय-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब,लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत मानक मद 14-मोटर गाडियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-708/वाहन-9/वाहन क्रय/2015-2016, दिनांक 20 जनवरी, 2025 तथा वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-013 के 01 शासकीय वाहन इनोवा क्रिस्टा क्रय किये जाने हेतु क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों हेतु 14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्रावधानित धनराशि रु0 18.00 लाख के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि रुपये 1.23 लाख का पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-05-कर्मचारियों

---

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)-मानक मद 14-मोटर गाडियों के क्रय में अवशेष बजट रू0 1.74 लाख से लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-07-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ मानक मद-14-मोटर गाडियों के क्रय में **रू0 1.23 लाख (रूपये एक लाख तेइस हजार मात्र)** (बी0एम0-09 प्रपत्र के अनुसार) किये जाने के क्रम में धनराशि रूपये 19.23 लाख (रूपये उन्नीस लाख तेईस हजार मात्र)) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं –

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखऊ का होगा।

(5) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तो के समावेश/निर्धारण का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 (जेम) पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है, और इसकी पुनरावृति नहीं हुई है।

(8) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03. 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,23,000 (रुपये उन्नीस लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखाशीर्षक** 4515001030700 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनॉक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2025/I-881632/2025/एस-14/38-2-2025-001-38-2001-099-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.u

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20242025-38-2021-060-2-2024

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान 13 के अन्तर्गत मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय में प्रतिधारित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित बचतों से प्रस्तावित स्थानान्तरण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत हेतु अनुमोदित धनराशि	संशोधन के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	4515001030500 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थान))	14 (मोटर गाड़ियों का क्रय)	28,00,000 रुपये अट्ठाईस लाख मात्र	1,74,391 रुपये एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ इक्यानबे मात्र	1,23,000 रुपये एक लाख तेईस हजार मात्र	123000 -	2624000 -	2024-2025

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	[illegible] पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	[illegible] पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल					₹ 1,23,000	₹ [illegible]	[illegible]	

निम्नलिखित लेखाशीर्षक में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	4515001030700 (दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास [illegible] बख्शी का तालाब, लखनऊ)	14 (मोटर गाड़ियों का क्रय)	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	1,23,000 रुपये एक लाख तेईस हजार मात्र	[illegible]	[illegible]	2024-2025
कुल				₹ 1,23,000	₹ [illegible]	[illegible]	

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदित देना चाहें –

(1) दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के अनुदान संख्या 13 के लेखाशीर्षक 4515001030800 के मानक मद 14 में उपलब्ध धनराशि रू0 1.74 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत संभावित है।

(2) अनुदान संख्या 13 के लेखाशीर्षक 4515001030700 के मानक मद 14 मोटर गाड़ियों के क्रय में रू0 1.23 लाख समर्पित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निहित प्रतिबंधों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- आर.ई.-संख्या-बजट-1-350, दि0-07.02.2025
2024-25 दिनांक नवंबर,2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।

Signed by
Date: 2024 18:21:50

Signed by
Manjeet Singh
(मनजीत सिंह)
अनु सचिव
Date: 07-02-2025 12:30:54

संख्या ______ / ______ दिनांक: ______ [illegible], 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) श्री राजेन्द्र राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) ग्राम्य विकास अनुभाग-3
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रमोद बरनवाल
संयुक्त सचिव